

मध्यप्रदेश शासन
विमानन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी, 2000

क्रमांक एफ 9-22-98-पैताल्वीस.—राज्य शासन, शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर के इंजिन, पुर्जों तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था संबंधी निम्नानुसार नियम बनाता है :—

1. नाम एवं उद्देश्य :

ये नियम शासकीय हेलीकॉप्टर/विमान के इंजिन पुर्जों तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था संबंधी नियम, 1999 कहलायेंगे।

2. क्रय करने संबंधी नियम :

- हेलीकॉप्टर अथवा विमान के पुर्जों अथवा स्पेयर्स, निर्माता/वेंडर अथवा उसके भारत स्थित अधिकृत प्रतिनिधि से ही क्रय किये जायेंगे।
- विमान/हेलीकॉप्टर के लिये पुर्जों/उपकरण के क्रय तथा ओवरहाल के लिये आवश्यक प्रस्ताव संबंधित इंजीनियर द्वारा तैयार किये जाकर संचालनालय के चीफ इंजीनियर/गुणवत्ता नियंत्रक (क्यू.सी.एम.) के माध्यम से संचालक विमानन को प्रस्तुत किये जावेंगे। निम्न वर्गीकरण के अनुसार प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे :—

- | | |
|----|-------------------|
| अ. | हार्ड टाईम आईटम |
| ब. | आन. कंडीशन आईटम |
| स. | फन्क्शनेबल आईटम्स |

- विमान/हेलीकॉप्टर के लिये उपकरण/यंत्र जिनकी निर्धारित आयु होती है, के ओवरहाल/जांच मरम्मत के लिये आवश्यक प्रस्ताव कम से कम 6 माह पूर्व तैयार कर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाकर अनुमोदन लिया जावेगा।

3. क्रय समिति का गठन एवं कार्यवाही :

- संचालनालय में खरीदी के लिये विचार कर निर्णय लेने हेतु एक समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1. | संचालक विमानन | अध्यक्ष |
| 2. | चीफ इंजीनियर | सदस्य |
| 3. | यंत्री (मैकेनिकल/रेडियो) | सदस्य |
| 4. | विमान/हेलीकॉप्टर का एक वरिष्ठ पायलट | सदस्य |
| 5. | प्रशासकीय अधिकारी/लेखाधिकारी | सदस्य सचिव |

- क्रय की जाने वाली सामग्री की आवश्यकता एवं औचित्य को देखते हुये समिति सामग्री क्रय करने की अनुशंसा करेगी।

- समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

- कमेटी क्रय से संबंधित अन्य आनुशांगिक मुद्दों जैसे हेण्डलिंग चार्ज का निर्धारण आयात करने संबंधित विन्दुओं का परीक्षण कर राज्य शासन को अनुशंसा कर सकेगी।

4. पुर्जे या उपकरण किराये पर प्राप्त करना एवं किराये पर देना :

1. नियम 3(1) के अन्तर्गत गठित समिति किमान/हेलीकॉप्टर के संचालन को दृष्टिगत रखते हुये, किसी ऐसे उपकरण, जो महानिदेशक नागरिक उड्डयन के निर्देशानुसार अथवा अन्यथा आवश्यक हो, को निर्माता/अधिकृत प्रतिनिधि/वेंडर अथवा अन्य किसी आपरटेर (शासकीय एवं गैर शासकीय) से किराये पर लिये/दिये जा सकेंगे.
2. उपकरणों को किराये पर लेने/देने की शर्तों का निर्धारण उक्त समिति के द्वारा किया जायेगा.
3. समिति यथा संभव किराये पर उपकरण लेने एवं देने के समय तथाकथित उपकरण की उपलब्धता, आवश्यकता इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में किराये की दर तय कर सकेगी.

5. वित्तीय अधिकार :

समिति द्वारा की गई अनुशंसा, विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये क्रय की जाने वाली सामग्री के लिये रुपये 50,000/- तक के वित्तीय अधिकार संचालक, विमानन को होंगे, रुपये 50,000/- से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय प्रस्ताव होने पर, संचालक उक्त समिति के कार्यवाही विवरण के साथ अपना प्रस्ताव राज्य शासन को स्वीकृति के लिये भेज सकेंगे, जिस पर राज्य शासन के अनुमोदन के उपरांत क्रय करने की कार्यवाही की जा सकेगी.

6. पूंजी संधारण :

1. क्रय किये गये पुर्जों/उपकरणों से संबंधित अभिलेख/पंजियों का नियमानुसार डी.जी.सी के निर्देशानुसार संधारण संचालनालय द्वारा किया जावेगा.
2. संचालक विमानन, पुर्जे प्रदायक संस्था/उपकरणों के ओवरहाल करने वाली संस्था से, लिखित में करार निष्पादित करेंगे.
3. पुर्जों के क्रय, स्टॉक इत्यादि का प्रतिवर्ष दो बार सत्यापन/जाँच किया जावेगा. सत्यापन दल में कोष एवं लेखा सेवा के संचालनालय में पदस्थ अधिकारी नामांकित होंगे.
4. विशेष परिस्थितियों में संचालक विमानन अपने स्वमिवेक के आधार पर पुर्जों के क्रय/उपकरणों के ओवरहाल के संबंध में अप्रैक्टर कार्यवाही कर सकेंगे और मामला कार्यांतर अनुमोदन के लिये क्रय समिति के समक्ष रखेंगे. ऐसे पुर्जे/उपकरण जिनकी आवश्यकता नहीं होगी, वे विवरण नियमित रूप से तैयार कर, उनके निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी.
5. अनुपयोगी पुर्जों/उपकरणों की नीलामी प्रत्येक वर्ष में निविदाये आमंत्रित कर की जावेगी इसके लिये उपरोक्त विन्दु क्र. 3 में उल्लेखित समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा.
6. नियम 3(1) के अन्तर्गत गठित समिति निवर्तन किये गये जाने वाले पुर्जे/उपकरणों के आफसेट मूल्य का निर्धारण, उसका उपयोगी जीवन, वर्तमान स्थिति क्रेता के लिये उपयोगिता एवं सभी आनुवंशिक तथ्यों पर विचार करेगी.

निर्वाचन : यदि उपरोक्त नियम के अनुगमन में कोई कठिनाई है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

ये नियम 1 जनवरी, 2000 से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(आर. एन. वैरवा)

सचिव, य.प्र. ससन,
विमानन विभाग.